

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं.— 31ए/2017
संस्थित दिनांक— 28.01.2015

सुफेर खॉ पुत्र अब्दुल सत्तार खॉ जाति मुसलमान आयु 55 साल
पेशा दुकानदारी निवासी बाहर शहर चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0 वादी

विरुद्ध

1. जुबेर खॉ पुत्र अब्दुल सत्तार खॉ जाति मुसलमान आयु 57 साल
पेशा साडी बुनाई निवासी बाहर शहर चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0
2. गुफरान खॉ पुत्र अब्दुल सत्तार खॉ जाति मुसलमान आयु 47
साल पेशा साडी बुनाई निवासी बाहर शहर चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0
3. रानू उर्फ यकीना पत्नी अवरार खॉ मुसलमान आयु 37 साल
पेशा गृहकार्य निवासी बाहर शहर चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 26.10.2017 को पारित ::

01— यह वाद कस्बा चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक—755/1006 के रकबे में से 750 वर्गफीट, सर्वे क्रमांक—442 रकबा—761, 120 व 1500 वर्गफीट, सर्वे क्रमांक 442—मिन—14 रकबा—0.012 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक—442—मिन—17 रकबा 0.003 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 442—मिन रकबा 0.008 हेक्टेयर दो प्लॉट एवं ग्राम रामपुर, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक—79/1 रकबा—0.202 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 368 रकबा 0.272 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक—159, 162, 171 में से रकबा—0.741 हेक्टेयर तथा उक्त भूमियों पर आम के 14 बृक्ष, जिन्हें निर्णय के आगे चरणों में विवादित संपत्तियों के नाम से संबोधित किया जा रहा है, पर बटवारानामा प्रदर्श—पी—1 के आधार पर वादी का स्वत्व घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित संपत्तियां में से कस्बा चंदेरी व रामनगर स्थित कृषि भूमि एवं दिल्ली स्थित आवासियों मकान वादी तथा प्रतिवादीगण की संयुक्त रूप से क्रय की गई संपत्तियां हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 सगे भाई हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक—3 वादी के सगे भाई अवरार खा जो कि फौत हो चुका है कि पत्नी है।
- 03— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित संपत्तियां वादी तथा प्रतिवादीगण की संयुक्त रूप से क्रय की संपत्तियां हैं, जो कि शामलाती रूप से क्रय करने के कारण एक दूसरे के नाम पर करा दी गई हैं। वादी तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर पारिवारिक व्यवस्थापन हो गया था, जिसकी लिखापढी दिनांक—30.11.07 को लेखबद्ध हुई थी, जिस पर वादी तथा प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर कर उसे नोटरी कराया था। विवादित संपत्तियां बंटवारे में वादी को प्राप्त हुई थीं, जिसे प्रतिवादीगण ने स्वीकार कर उन संपत्तियों का कब्जा वादी को दिया था। बंटवारा अभिलेख के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक—1 ने अपना नामांतरण भी राजस्व अभिलेख में करा लिया था। प्रतिवादी क्रमांक—1 के मन में बध्यांति आने के कारण बंटवारा विलेख का पालन नहीं कर रहा है, जो कि प्रतिवादी क्रमांक—1 पर बंधनकारी है। दिनांक—05.01.2015 को प्रतिवादी क्रमांक—1 ने चंदेरी में आकर बंटवारा विलेख के पत्र क्रमांक—1 की संपत्तियों का दुबारा बंटवारा कराने की मांग की तथा बंटवारा विलेख को मानने से इंकार कर लिया और वादी की शर्तों को नकार कर विवादित संपत्तियों को विक्रय करने की धमकी प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा दी गई। वाद कारण दिनांक—05.01.2015 को उत्पन्न होने पर निर्णय के चरण क्रमांक—1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत 500/— रुपये के न्यायशुल्क के साथ यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।
- 04— प्रतिवादी क्रमांक—1 की ओर से स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर दावे का जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जनमामहू और बंबई के मकान को छोड़कर शेष अभी विवादित संपत्तियां शामलाती रूप से क्रय की गई थीं। बंटवारा सभी भाईयों के समक्ष मौखिक रूप से हुआ था जिसमें प्रतिवादी क्रमांक—1 सभी संपत्तियों में बराबर का हिस्सेदार है। प्रतिवादी क्रमांक—1 को बराबर का हिस्सा न देकर वादी ने फर्जी बंटवारे का दस्तावेज तैयार कर उस पर प्रतिवादी क्रमांक—1 के फर्जी हस्ताक्षर करके कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है। वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक—12.11.2007 को केवल कारोबार का सहमति के आधार पर बंटवारा हुआ था। वादी प्रतिवादी क्रमांक—1 को बंबई में मिलने वाला मकान हड़पना चाहता है। जिसके लिये उसने फर्जी

अनुबंध जाली दस्तावेजों के आधार पर तैयार कर गुफरान के नाम कराने का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत वादी के खिलाफ प्रतिवादी क्रमांक—1 ने की थी। दावे में दो अन्य भाईयों को वादी ने पक्षकार नहीं बनाया है और न ही वादी के द्वारा कथित बटवारे में प्रतिवादी क्रमांक—1 की कोई सहमति है। प्रतिवादी क्रमांक—1 ने विवादित संपत्तियों पर अपना नामांतरण नहीं कराया। बटवारा विलेख प्रतिवादी क्रमांक—1 पर बंधनकारी नहीं है। बटवारा विलेख फर्जी है। जिसके आधार पर स्वत्व घोषणा हेतु यह गलत वाद वादी ने पेश किया है। दिनांक—05.01.2015 को वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। मध्यप्रदेश राज्य आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी उसे व अन्य भाई इसरार व उबेद को पक्षकार नहीं बनाया तथा दावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया, जिससे दावा सव्यय निरस्त किये जाने की सहायता चाही।

05— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या कस्बा चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 755/1006 के रकबे में से 750 वर्गफीट, सर्वे क्रमांक 442 रकबा 761, 120 व 1500 वर्गफीट, सर्वे क्रमांक 442—मिन—14 रकबा 0.012 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 442—मिन—17 रकबा 0.003 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 442—मिन रकबा 0.008 हेक्टेयर दो प्लॉट एवं ग्राम रामपुर, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 79/1 रकबा 0.202 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 368 रकबा 0.272 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 159, 162, 171 में से रकबा 0.741 हेक्टेयर तथा आम के 14 बृक्ष बटवारा विलेख दिनांक 30.11.2007 अनुसार वादी के स्वत्व के है ?	प्रमाणित नहीं है।

2.	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित है।
3.	क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों का दोष है ?	प्रमाणित है।
4.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कण्डिका 29 अनुसार प्रदाय की गई।

—सकारण निष्कर्ष—

वाद प्रश्न क्रमांक-1 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

06— सुफेर खां (व0सा0-1) का अपने अभिवचनों के समर्थन में अपने सशपथ कथनों में यह कहना है कि वादी तथा प्रतिवादीगण ने एक परिवार के सदस्य होने के कारण कस्बा चंदेरी, रामनगर में कृषि भूमि व मकान आदि हैं तथा बम्बई व दिल्ली व जनमामहू जिला प्रतापगढ़ में आवासियों मकान शामलाती रूप से क़य कर एक-दूसरे के नाम करा दिये थे, उक्त संपत्ति शामलाती पैसों से बनाई गई संपत्ति है, जिसका पारिवारिक व्यवस्थापन वादी तथा प्रतिवादीगण के बीच दिनांक-30.11.2007 को साक्षीगणों के समक्ष लेखबद्ध हुआ था, जिसे नोटरी भी करा दिया गया था। वादी सुफेर (व0सा0-1) के अनुसार उक्त पारिवारिक व्यवस्थापन विलेख के अनुसार उसके हिस्से में विवादित संपत्तियां उसे प्राप्त हुई थीं तथा पारिवारिक व्यवस्थापन के अनुसार उक्त संपत्ति को उसे आपसी बटवारे में दे दिया गया था एवं उसका कब्जा भी उसे प्राप्त हुआ था तथा मोके पर वर्तमान में उपरोक्त संपत्तियों पर उसका कब्जा चला आ रहा है।

07—वादी की ओर से किये गये अभिवचन एवं प्रदर्श-पी-1 के दस्तावेज को प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विशेष रूप से अपने अभिवचनों में एवं साक्ष्य में चुनौती दी गई हैं प्रतिवादी क्रमांक-1 के अनुसार प्रदर्श-पी-1 का दस्तावेज वादी ने फर्जी रूप से तैयार करा कर उसके फर्जी हस्ताक्षर प्रदर्श-पी-1 पर बनाये हैं, जुबेर खां (प्र0सा0-1) का अपने सशपथ कथनों में कहना है कि उसके तथा भाईयों के बीच दिनांक 12.11.2007 को कारोबार का आपसी

बंटवारा हुआ था, जिसकी लिखापढी पंचों के समक्ष हुई थी और उक्त बंटवारे की आड़ में वादी सुफेर खां (व0सा0-1) ने दिनांक-30.11.2007 की फर्जी लिखापढी प्रदर्श-पी-1 तैयार करा कर उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाये हैं।

08—अतः वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 के मध्य दिनांक 30.11.2007 को प्रदर्श-पी-1 के दस्तावेज का निष्पादन होना ही मुख्य रूप से दोनों पक्षों के मध्य विवादित है। वादी सुफेर खां (व0सा0-1) ने अपने अभिवचनों एवं मुख्यपरीक्षण में दिये गये सशपथ कथनों के समर्थन में मुख्य रूप से प्रकरण में पारिवारिक व्यवस्थापन दिनांक 30.11.2007 का नोटरीकृत मूल दस्तावेज प्रदर्श-पी-1 प्रकरण में प्रस्तुत किया है तथा उक्त दस्तावेज के निष्पादन को प्रमाणित करने के लिये अपने समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श-पी-1 के साक्षी अमोलक चंद जैन (व0सा0-2), कुंदनलाल भारती (व0सा0-4) एवं दस्तावेज लेखक मुन्तहा खां (व0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये हैं।

09—अमोलक चंद जैन (व0सा0-2) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि उसने वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक विवाद की पंचायत की थी, जिसमें सहमति के आधार पर कच्ची लिखापढी तैयार की गई थी तथा पक्की लिखापढी दोनों पक्षों के द्वारा तैयार किये जाने के बाद तहसील चंदेरी में उसे व कुंदनलाल (व0सा0-4) को बुलाया गया था और प्रदर्श-पी-1 की लिखापढी पर उसके सामने वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 ने हस्ताक्षर किये थे तथा स्वयं उसने भी उस पर हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी ने प्रदर्श-पी-1 पर वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 के हस्ताक्षरों की पहचान भी अपने न्यायालीन कथनों में की है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में यह स्पष्ट किया है कि जब उसने प्रदर्श-पी-1 लिखापढी पर हस्ताक्षर किये थे तो उसने दस्तावेज की मुख्य बातें पढ़ ली थीं, इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-5 में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदर्श-पी-1 पर उसने पढ़कर हस्ताक्षर किये थे तथा उसी के सामने वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 ने हस्ताक्षर किये थे।

10—अमोलक चंद (व0सा0-2) ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में भी मौके पर जुबेर व सुफेर को उपस्थित होना एवं उनकी उपस्थिति में स्वयं हस्ताक्षर करना अपने कथनों में बताया है, इसी प्रकार प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-9 में भी इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि बंटवारे के अनुसार चार भाईयों में बंटवारा

हुआ था जिसमें एक हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक-1 को दिया गया था। वहीं तीन हिस्से सुफेर व अन्य भाईयों को संयुक्त रूप से दिये गये थे। अतः अमोलक चंद जैन (व0सा0-2) ने अपने कथनों से यह प्रमाणित किया है, वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 सहित कुल चार भाईयों के बीच संपत्तियों के बंटवारे की पंचायत उसके तथा कुंदनलाल भारती (व0सा0-4) के समक्ष हुई थीं तथा उनके सामने तहसील में उक्त पंचायत में हुई सहमति के आधार पर प्रदर्श-पी-1 की लिखापट्टी वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 के समक्ष हुई थीं, जिस पर उसने व वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 ने मौके पर हस्ताक्षर भी किये थे।

11—कुंदनलाल भारती (व0सा0-4) जो कि बटवारानामा प्रदर्श-पी-1 का साक्षी है, ने अपने कथनों में प्रदर्श-पी-1 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, परन्तु इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट करने में असमर्थता व्यक्त की है कि प्रदर्श-पी-1 के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय कौन-कौन उपस्थित तथा कहां उसने हस्ताक्षर किये थे तथा उक्त दस्तावेज पर उसने हस्ताक्षर कहां किये थे। इस साक्षी का स्वयं यह कहना है कि काफी समय होने के कारण उसे आज ध्यान नहीं है। यह साक्षी 87 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जो निश्चित रूप से वृद्ध अवस्था के कारण अपने कथनों में प्रदर्श-पी-1 के निष्पादन का समय, स्थान व दिनांक बताने में असमर्थ है, परन्तु इस साक्षी ने इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दिये है कि वह पंचायत कराने के लिये अमोलक चंद जैन व तेजराम अहिरवार के साथ गया था तथा पंचायत में कच्ची लिखापट्टी के पॉइन्ट लिख लिये गये थे। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह स्पष्ट किया है कि प्रदर्श-पी-1 के द्वारा सुफेर व जुबेर की संपत्तियों का बंटवारा हुआ था।

12—वादी तथा प्रतिवादीगण के बीच हुई पंचायत में कुंदनलाल भारती (व0सा0-4) भी उपस्थित थे इसकी पुष्टि स्वयं अमोलक चंद जैन (व0सा0-2) ने अपने कथनों में की है तथा कुंदनलाल भारती के द्वारा प्रदर्श-पी-1 पर मौके पर हस्ताक्षर किये गये, इस बात की पुष्टि करते हुये उनके हस्ताक्षरों की पहचान की है। अतः भले ही कुंदनलाल भारती प्रदर्श-पी-1 के दस्तावेज के निष्पादन का समय दिनांक, स्थान एवं अंतरवस्तु वृद्ध अवस्था होने के कारण बताने में असमर्थ रहे हो, परन्तु वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य संपत्तियों के बटवारों की पंचायत उसके व अमोलक चंद जैन (व0सा0-2) के समक्ष हुई थीं, इस संबंध में इस साक्षी ने अखण्डित साक्ष्य दी है। प्रदर्श-पी-1 के दस्तावेज

लेखक मुन्तहा खां गौरी (व0सा0-3) ने भी प्रदर्श-पी-1 के दस्तावेज का लेखन दिनांक 30.11.2007 को दस्तावेज के पक्षकारों के कहे अनुसार टाईप करना बताया है। जिसको कोई चुनौती प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा नहीं दी गई।

13—अतः वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य संपत्ति बंटवारें की पंचायत के बाद हुई प्रदर्श-पी-1 की लिखापढी वादी तथा प्रतिवादीगण की सहमति से हुई थी तथा दोनों ने प्रदर्श-पी-1 के साक्षी अमोलक चंद जैन (व0सा0-2) व कुंदनलाल भारती (व0सा0-4) की उपस्थिति में प्रदर्श-पी-1 पर सहमति के आधार पर हस्ताक्षर किये थे इस संबंध में वादी सुफेर खां (व0सा0-1) कुंदनलाल भारती (व0सा0-4) व अमोलक चंद जैन (व0सा0-2) के द्वारा दी गई साक्ष्य अखण्डित हैं, जो यह साबित करने के लिये पर्याप्त है कि प्रदर्श-पी-1 की लिखापढी वादी तथा प्रतिवादीगण की सहमति से पंचों के समक्ष की गई। प्रतिवादी क्रमांक-1 अपने कथनों में स्वयं यह स्वीकार करता है कि अमोलक चंद जैन (व0सा0-2), मुन्तहा खां गौरी (व0सा0-3) एवं कुंदनलाल भारती (व0सा0-4) से उसका कोई विवाद नहीं है अतः ऐसे व्यक्ति जिन से दोनों पक्षों को कोई विवाद नहीं है, उनकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

14—जहां तक प्रतिवादी क्रमांक-1 का यह कहना है कि प्रदर्श-पी-1 की लिखापढी फर्जी हैं तथा उस पर उसके हस्ताक्षर फर्जी हैं, तो यह साबित करने के लिये प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी की ओर से अपने समर्थन में कस्बा चंदेरी व रामनगर स्थित भूमियों पर बंटवारे के अनुसार हुये नामांतरण की कार्यवाही के प्रकरण की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-2, 3, 4 व 5 प्रकरण में प्रस्तुत की गई जिसमें बंटवारें के अनुसार रामनगर स्थित भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का नामांतरण स्वीकार हुआ वहीं नगरपालिका परिषद चंदेरी के द्वारा वार्ड क्रमांक-12 के भवन क्रमांक-96 एवं वार्ड क्रमांक-14 के भवन क्रमांक-10 पर संपत्ति का रजिस्ट्रार में प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम इंद्राज है इसका प्रमाणिकरण प्रदर्श-पी-7 व 8 प्रकरण में प्रस्तुत किया है तथा स्वयं प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा वार्ड क्रमांक-14 में सर्वे क्रमांक-485 रक्बा-0.303 हैक्टेयर पर नामांतरण किये जाने के संबंध में नगरपालिका परिषद चंदेरी में दिये गये आवेदन की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-12 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है, जिस पर नगरपालिका परिषद चंदेरी के द्वारा इस्तहारी जारी की

गई। प्रदर्श-पी-11, 12, 13 के दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा वार्ड क्रमांक-14 स्थित सर्वे क्रमांक-485 रक्बा-0.303 हैक्टेयर पर नामांतरण की कार्यवाही उसके द्वारा की गई।

15—प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने अभिवचनो में स्वयं यह कहना है कि दिल्ली और जनमामहू स्थित आवासिये संपत्ति को छोड़कर शेष संपत्तियां शामलाती रूप से क्रय की गई थी और शामलाती रूप से संपत्तियां क्रय की गई थी, तो उन संपत्तियों में से प्रदर्श-पी-1 के अनुसार बंटवारे में प्राप्त हुई संपत्तियों पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा की गई नामांतरण कार्यवाही एवं वर्ष-2008 में कृषि भूमियों पर बंटवारे के अनुसार उसका हुआ नामांतरण स्वतः यह दर्शित करता है कि प्रदर्श-पी-1 का निष्पादन आपसी सहमति के आधार पर साक्षियों के समक्ष हुआ था और उक्त दस्तावेज के निष्पादन के परिणाम स्वरूप ही कस्बा चंदेरी व रामनगर स्थित भूमि व मकानों पर पक्षकारों के द्वारा नामांतरण की कार्यवाही की गई। जिससे प्रतिवादी क्रमांक-1 का यह कहना कि प्रदर्श-पी-1 के दस्तावेजों का निष्पादन फर्जी होकर उस पर उसके हस्ताक्षर फर्जी है, प्रमाणित नहीं है। अतः प्रदर्श-पी-1 का निष्पादन संपत्तियों के बंटवारे के संबंध में आपसी सहमति के आधार पर दोनों पक्षों के द्वारा साक्षियों के समक्ष किया जाना अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित होता है।

16—प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से अपने अभिवचनों में व्यक्त किया गया है कि दिनांक-12.11.2007 को उनके शामलाती व्यवसाय का बटवारा हुआ था, जिसकी कार्यवाही अलग हुई थी तथा उक्त कार्यवाही को प्रमाणित करने के लिये प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से प्रदर्श-डी-1 का दस्तावेज जो कि व्यवसायिक बटवारे से संबंधित है, प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। वादी ने दिनांक 12.11.2007 को हुये बटवारे को अपनी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-12 में स्वीकार किया है तथा प्रदर्श-डी-1 के साक्षी अमोलक चंद जैन (व0सा0-2) ने भी प्रदर्श-डी-1 पर अपने व कुंदनलाल भारती (व0सा0-4) के हस्ताक्षरों की भी पहचान की है तथा उक्त दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार किया है। अतः वादी सहित उसके साक्षियों के द्वारा दिनांक 12.11.2007 को हुये व्यवसायिक बटवारे को चुनौती न देकर उसे स्वीकार किये जाने के बाद यह स्थिति स्पष्ट होती है, कि वादी तथा प्रतिवादी के मध्य तो सर्वप्रथम तो दिनांक 12.11.2007 को व्यवसायिक संपत्तियों का प्रदर्श-डी-1 के अनुसार बटवारा हुआ तथा उसके बाद पुनः दिनांक दिनांक 30.11.2007 को इन्ही पक्षकारों के मध्य प्रदर्श-पी-1 के पारिवारिक व्यवस्थापन की भी लिखापट्टी भी आपसी

सहमति के आधार पर हुई।

- 17—वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य प्रदर्श-पी-1 का बटवारानामा अपसी सहमति के आधार पर हुया था यह प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है। अतः मुख्य रूप से यह विचार किया जाना है, वास्तव में प्रदर्श-पी-1 का दस्तावेज वैधानिक है तथा उक्त आधार पर वादी को वाछित सहायता प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं। वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-पी-1 के दस्तावेज के आधार पर विवादित संपत्तियों पर उसके एक मात्र स्वत्व घोषणा किये जाने की सहायता अपने अभिवचनों में चाही गई है तथा वादी सुफेर खां (व0सा0-1) ने अपने मुख्यपरीक्षण के सशपथ कथनों के द्वारा स्वयं की ओर से प्रस्तुत की गये अभिवचनों की पुष्टि भी इस संबंध में की है, परन्तु स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत पारिवारिक व्यवस्थापन का दस्तावेज प्रदर्श-पी-1 से यह स्पष्ट होता है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत अभिवचन एवं मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन दस्तावेज की अंतरवस्तु से मेल नहीं खाते हैं।
- 18—वादी सुफेर खां (व0सा0-1) अपने अभिवचनों एवं सशपथ कथनों में प्रदर्श-पी-1 के माध्यम से उपरोक्त विवादित संपत्तियां स्वयं को अकेले प्राप्त होना बताता है तथा अभिवचनों में उक्त समस्त संपत्तियों पर उसने स्वयं का ही स्वामित्व घोषित करने की सहायता चाही है, परन्तु प्रदर्श-पी-1 के व्यवस्थापन के दस्तावेज के अनुसार उपरोक्त विवादित संपत्तियां वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 को संयुक्त रूप से बंटवारें में दिये जाने का उल्लेख है। अतः ऐसे में प्रदर्श-पी-1 के दस्तावेज के ही अनुसार जहां वादी को विवादित संपत्तियां प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 के साथ संयुक्त रूप से बंटवारें में दिये जाने का उल्लेख है, वहां वादी का उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में यह अभिवचन करना एवं साक्ष्य देना की उक्त संपत्तियां उसे एकल रूप से प्राप्त हुई थीं, प्रदर्श-पी-1 की दस्तावेज की अंतरवस्तु के भिन्न हैं। जिसके विरुद्ध वादी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-94 के तहत मौखिक साक्ष्य देने से विवंधित है, क्योंकि प्रदर्श-पी-1 के दस्तावेज की भाषा अपने आप में स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज में वादी को प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 के साथ संयुक्त रूप से विवादित संपत्तियां बंटवारे में प्राप्त होने का उल्लेख है।
- 19—प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 की ओर से प्रकरण के विचारण के दौरान आदेश-23 नियम-3 ज0दी0 के तहत आवेदन प्रस्तुत करके प्रदर्श-पी-1 के माध्यम से

विवादित संपत्तियों में उन्हें प्राप्त हुआ अंश को वादी के पक्ष में निश्चित रूप से त्यागा है, परन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन दिनांक 06.07.2015 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि वादी के द्वारा दिनांक—28.01.2015 को प्रस्तुत किये गये, दावे में स्वयं को ही बटवारों के आधार पर उपरोक्त विवादित संपत्तियों को एकल रूप से प्राप्त होना बताया है। वादी का अपने अभिवचनों में व साक्ष्य में कही भी यह कहना नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 ने विवादित संपत्तियों में अपने अंश को उसके पक्ष में त्याग दिया है। अतः ऐसे में दावे में किये गये अभिवचन व वादी के द्वारा दी गई साक्ष्य प्रस्तुत व्यवस्थापन दस्तावेज प्रदर्श—पी—1 के अंतरवस्तु से भिन्न होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

20—वादी सुफेर खां (व0सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—10 में यह कथन दिये हैं कि वह कुल पांच भाई हैं, जिनमें से चार भाई एक साथ हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक—1 अलग हो गया है तथा चार भाईयों में से एक का देहांत होने के बाद उसकी वेवा उसके साथ में रह रही है, जिसे कि वादी ने प्रतिवादी क्रमांक—3 के रूप में पक्षकार बनाया है, जो कि वादी के मृतक भाई अवरार खां की पत्नी है। प्रदर्श—पी—3 के फर्ज बटवारे के अनुसार कस्बा चंदेरी की विवादित कृषि भूमि में वादी सुफेर खां के अलावा इसरार खां, जुबेर खां, उबेर खां, अवरार खा, गुफरान खां के नाम पर संयुक्त रूप से विवादित भूमियां राजस्व अभिलेख में दर्ज होना बताया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वादी कुल पांच भाई न होकर छः भाई हैं, जिससे स्पष्ट है कि वादी के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन कि वह कुल पांच भाई हैं, असत्य प्रतीत होते हैं।

21—विवादित कृषि भूमि वादी समेत कुल पांच भाईयों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज थी, परन्तु प्रदर्श—पी—1 का व्यवस्थापन में कुल चार भाई पक्षकार हैं। शेष बचे दो भाई इसरार व उबेद खां पारिवारिक व्यवस्थापन प्रदर्श—पी—1 के न तो पक्षकार हैं, और न ही वादी ने उन्हें दावे में पक्षकार बनाया है। अतः यदि संयुक्त रूप से सभी छः भाईयों ने विवादित कृषि भूमि व आवासीय मकान एवं दिल्ली व बम्बई एवं जनमामहू के आवासियों मकान क्रय किये गये, तो उक्त भूमियों का बटवारा दो भाई इसरार व उबेद खां की अनुपस्थिति में बिना उनकी सहमति लिये किया जाना अपने आप में अवैध है तथा प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन अंतर्गत आदेश—23 नियम—3 के आवेदन में विवादित संपत्तियों पर अपना हक त्याग कर एक मात्र सुफेर खां का स्वामित्व व आधिपत्य घोषित किये जाने की सहायता चाहना,

इसरार व उवेद खा की अनुपस्थिति में अपने आप में विधिवत् नहीं है। जिससे प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

22—वादी सुफेर खा (व0सा0—1) ने अपने अभिवचनों में एवं साक्ष्य में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि इसरार खां व उवेद खां को पारिवारिक व्यवस्थापन प्रदर्श—पी—1 का पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया तथा विवादित संपत्तियों में उनके अंश को किस प्रकार से वादी तथा प्रतिवादीगण ने अपने अपने पक्ष में विभाजित किया है। इसरार व उवेद खां का नाम संयुक्त रूप से विवादित भूमियों पर अन्य भाईयों के साथ नाम दर्ज होने के बाद भी उनके अंश के विभाजन का कोई उल्लेख प्रदर्श—पी—1 एवं वादी के अभिवचनों व साक्ष्य में नहीं है।

23—प्रतिवादी क्रमांक—1 ने अपने अभिवचनों में एवं साक्ष्य में मुख्य रूप से यह आपत्ति उठाई है कि बंबई स्थित प्लाट व जनमामहू स्थित आवासिये मकान संयुक्त रूप से क्रय की गई संपत्ति नहीं है, जबकि वादी का अभिवचनों में यह कहना है कि उक्त संपत्ति संयुक्त रूप से क्रय की गई है। सुफेर खां (व0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण में एक ओर बम्बई की झुग्गी झोपड़ी की खरीद का भुगतान स्वयं चैक माध्यम से किया जाना बताता है, परन्तु इस साक्षी को स्वयं यह जानकारी नहीं है कि उक्त झुग्गी झोपड़ी वास्तव में किसके नाम पर दर्ज है। सुफेर खां (व0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—18 में स्वयं यह स्वीकार करता है कि बम्बई वाली झुग्गी का पट्टा जुबेर ने प्राप्त किया था, यदि बम्बई की संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक—1 को पट्टे पर प्राप्त हुई थी, तो उसे क्रय करने के लिये वादी चैक का भुगतान कैसे कर सकता है। इसी प्रकार जनमामहू जिला प्रतापगढ़ का मकान प्रतिवादी क्रमांक—1 ने स्वयं क्रय किया यह वादी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—11 में स्वीकार किया है। वादी की ओर से इस आशय की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि उक्त मकान संयुक्त रूप से क्रय किया गया है।

24—अतः प्रतिवादी क्रमांक—1 का यह कहना कि बम्बई स्थित संपत्ति एवं ग्राम जनमामहू जिला प्रतापगढ़ स्थित आवासिये मकान संयुक्त रूप से क्रय की गई संपत्ति नहीं है, यह स्वयं वादी सुफेर खां (व0सा0—1) के न्यायालय में दिये गये कथनों से ही प्रमाणित होता है। अतः ऐसी संपत्ति जो कि संयुक्त रूप से क्रय की गई संपत्ति न होकर एकांकी रूप से प्रतिवादी क्रमांक—1 को पट्टे पर प्राप्त हुई एवं उसके द्वारा क्रय की गई और उक्त संपत्ति को पारिवारिक

व्यवस्थापन में वादी के पक्ष में बटवारे में आना भले ही प्रतिवादी क्रमांक-1 की सहमति से हुआ हो, चूंकि प्रदर्श-पी-1 के द्वारा बंबई स्थित प्लॉट पर वादी ने अपना स्वत्व चाहा है, तो उक्त अंतरण बिना पंजीकृत दस्तावेज के प्रमाणित नहीं हो सकता है। इसके लिये प्रदर्श-पी-1 का पंजीयन एवं उस पर विधिवत् स्टाम्प ड्यूटी अदा किया जाना आवश्यक था।

25—विवादित संपत्तियों में छः भाई संयुक्त रूप से हिस्सेदार होने के बाद भी इसरार व उवेद को प्रदर्श-पी-1 के पारिवारिक बटवारे में पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उन्हें दावे में पक्षकार बनाया गया। प्रदर्श-पी-1 के द्वारा विवादित संपत्तियां भी वादी को एकांकी रूप से बंटवारे में प्राप्त न होकर प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त हुई थी जिस पर वादी बिना अन्य भाईयों की सहमति से प्रदर्श-पी-1 के दस्तावेज के आधार पर जो कि अपने आप में इसरार व उवेद की सहमति न लिये जाने से विधिवत् निष्पादित किया गया दस्तावेज नहीं है, के आधार पर स्वत्व प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है। अतः ऐसे में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी को प्रदर्श-पी-1 के बंटवारे नामा दिनांक-30.11.2007 के आधार पर विवादित संपत्तियों में अन्य भाईयों के अंश के स्वत्व प्राप्त हुये। जिससे वाद प्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

26—वादी ने यह वाद प्रदर्श-पी-1 के बटवारे नामों के आधार पर विवादित संपत्तियों पर अपना स्वत्व घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया है तथा पारिणामिक रूप में हुई सहायता वादी के द्वारा नहीं चाही गई। अतः ऐसे में स्वत्व घोषणा के लिये वादी को निश्चित न्यायशुल्क 500/- रुपये की राशि दावे में वांछित सहायता प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करनी थी। वादी के द्वारा वाद का मूल्य 1000/- रुपये पर निर्धारित कर 500/- रुपये राशि का निश्चित शुल्क अदा किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी ने दावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

27—वादी के द्वारा दिल्ली व बम्बई स्थित विवादित संपत्तियों के साथ कस्बा चंदेरी

व रामनगर स्थित कृषि भूमियों पर प्रदर्श-पी-1 के बटवारेनामों के आधार पर अपना स्वत्व घोषित किये जाने की सहायता चाही है। वादी के द्वारा चूंकि कृषि भूमियों पर स्वत्व चाहा गया है इसलिए आदेश-1 नियम 3 बी व्य0प्र0स0 के तहत ऐसे प्रकरणों में मध्यप्रदेश राज्य आवश्यक पक्षकार बनाया जाना था परन्तु वादी के द्वारा दावे में मध्यप्रदेश राज्य को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है तथा दावे की कण्डिका-10 में जो आधार मध्यप्रदेश राज्य को पक्षकार न बनाये जाने का लिया गया है, वह आदेश-1 नियम-3 बी व्य0प्र0स0 के प्रावधान के विपरीत है। इसी प्रकार कस्बा चंदेरी की भूमियों में वादी तथा प्रतिवादीगण के अलावा उक्त विवादित भूमियों पर संयुक्त रूप से वादी के अन्य भाई इसरार व उबेद का नाम भी राजस्व अभिलेख में दर्ज था, जिसकी पुष्टि प्रदर्श-पी-3 के बंटवारा फर्द कि सत्यप्रतिलिपि से होती है, परन्तु बंटवारानामा प्रदर्श-पी-1 में इसरार व उबेद न तो पक्षकार हैं और न ही उनकी कोई सहमति अपना अंश वादी को दिये जाने के संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य से दी गई प्रतीत होती है अतः ऐसे में इसरार व उबेद की अनुपस्थिति में एकल रूप से प्रदर्श-पी-1 के आधार पर वादी को कोई सहायता दावे के अनुसार प्रदान नहीं की जा सकती है। वादी की ओर से प्रस्तुत दावे में मध्यप्रदेश राज्य एवं वादी के अन्य भाई इसरार उबेद पक्षकार बनाये जाने थे, क्योंकि वह विवादित संपत्तियों के संबंध में आवश्यक पक्षकार थे, जिनकी अनुपस्थिति में प्रभावी डिक्री पारित नहीं हो सकी। अतः स्पष्ट रूप से अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर दावे में आवश्यक पक्षकारों के अंसयोजन का दोष होना प्रमाणित होता है। जिससे उपरोक्त आधार पर वाद प्रश्न क्रमांक-3 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

सहायता एवं वाद व्यय—

- 28—वादी ने अपने अभिवचनों में सभी संपत्तियों को सभी भाईयों के द्वारा संयुक्त रूप से क्रय किया जाना बताया है, परन्तु प्रदर्श-पी-1 के बटवारानामा में अन्य भाई इसरार व उबेद को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही संयुक्त संपत्तियों के संबंध में इन दोनों भाईयों की सहमति ली गई है। प्रदर्श-पी-1 के बटवारानामा में विवादित संपत्तियां एक मात्र वादी को बटवारे में प्राप्त न होकर प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 के साथ संयुक्त रूप से दिये जाने पर सहमति हुई, परन्तु इसरार व उबेद का विवादित संपत्तियों में अंश का कोई उल्लेख प्रदर्श-पी-1 में नहीं है। अतः ऐसे में वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य प्रदर्श-पी-1 के आधार पर हुआ विभाजन विधिक प्रतीत नहीं होता है।

29—दावे में वर्णित बंबई की संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 को पट्टे पर प्राप्त होना वादी ने अपने कथनों में स्वीकार किया है। उक्त संपत्ति प्रदर्श-पी-1 के आधार पर वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 के हिस्से में आना बताया है जो कि एकल स्वामित्व की संपत्ति का अंतरण है जिसके लिये दस्तावेज का पंजीयन होना आवश्यक था। बिना पंजीयन हुये बम्बई की संपत्ति के संबंध में धारा 49 रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत उक्त दस्तावेज का कोई विधिक महत्व उक्त संपत्तियों पर स्वत्व के संबंध में नहीं है, बल्कि उसे मात्र आपसी सहमति को दर्शाने के लिये साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। वादी ने विवादित संपत्तियों पर अकेले ही अपना स्वत्व चाहा है, जबकि उसे प्रदर्श-पी-1 के अनुसार संयुक्त रूप से संपत्ति हिस्से में आई थी। अतः ऐसे में वादी दस्तावेज प्रदर्श-पी-1 के विपरीत भी चाही गई सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है। प्रस्तुत दावे में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का भी दोष है। जिसके उपरोक्त आधारों पर दावे में वांछित सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी अपना दावा प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है।

01:— यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:— वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03:— अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(15)

व्यवहार वाद क्रं. —31ए/2017

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.